"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 104 ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च 2013—फाल्गुन 28, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 (फाल्गुन 28, 1934)

क्रमांक-4503/वि.स./विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013 (क्रमांक 14 सन् 2013) जो दिनांक 19 मार्च, 2013 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
( देवेन्द्र वर्मा )
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2013)

# छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013

विषय-सूची

खण्ड

अध्याय-एक

**प्रारंभिक**



अध्याय-दो

**राज्य प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरण का संगठन एवं संरचना**



अध्याय-तीन

**अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व**



अध्याय-चार

**शिकायत निवारण (प्रतितोषण) तंत्र**

## छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 14 सन् 2013)

# छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार विधेयक, 2013

**छत्तीसगढ़ राज्य में निवासरत प्रत्येक युवा को, उनकी स्वयं की रुचि के किसी भी व्यवसाय में उनकी पात्रता तथा अभिवृत्ति (रूझान) के अनुरूप कौशल विकास के अवसर का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

## अध्याय-एक

### प्रारंभिक

**संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

**परिभाषाएं.**

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "खण्ड" से अभिप्रेत है सामुदायिक विकासखण्ड या आदिमजाति विकासखण्ड, यथास्थिति, जिसे ग्रामीण विकास या आदिमजाति विकास के प्रयोजनों के लिये राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया गया हो;

(ख) "केन्द्र शासन" से अभिप्रेत है भारत सरकार;

(ग) "मुख्य कार्यपालन अधिकारी" से अभिप्रेत है राज्य कौशल विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी;

(घ) "जिला प्राधिकरण" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अधिसूचित जिला कौशल विकास प्राधिकरण;

(ङ) "जिला योजना समिति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यघ में यथा परिभाषित जिला योजना समिति;

(च) "कार्यकारिणी समिति" से अभिप्रेत है शासी परिषद् की कार्यकारिणी समिति;

(छ) "शासी परिषद्" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण की शासी परिषद्;

(ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;

(झ) "कौशल" से अभिप्रेत है राज्य प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल, जिसके लिए कोई व्यक्ति शिक्षा, पूर्व ज्ञान, अभिवृत्ति (रूझान), अनुभव, व्यवहार, परम्परा अथवा पारिवारिक व्यवसाय, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा पात्र हो, जो राज्य प्राधिकरण द्वारा मानकीकृत तथा मान्यता प्राप्त हो;

(ञ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;

(ट) "राज्य प्राधिकरण" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण;

(ठ) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;

(ड) "तृतीय पक्ष मूल्यांकक" से अभिप्रेत है कौशल स्तरों का मूल्यांकक, जो व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता से सम्बद्ध न हो जहां युवा कौशल स्तर के मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण ले रहे हों तथा जिसे राज्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार मान्यता प्रदान की गई हो;

(ढ) "प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ण) "व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, संस्थान, उद्योग, सूक्ष्म या लघु उद्यम, व्यक्तियों का संगठन, शासकीय या गैर-शासकीय संगठन या कोई व्यवसाय, जिनके पास यथा विहित प्रशिक्षण देने की क्षमता हो और जो कौशल (लों) में प्रशिक्षण हेतु राज्य प्राधिकरण से पंजीकृत हो;

(त) "युवा" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति जो राज्य के निवासी हों तथा जिनकी आयु कौशल विकास हेतु आवेदन की प्रस्तुति की तारीख पर 14 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक न हो.

**कौशल प्राप्ति हेतु युवा का अधिकार.**

3. (1) अधिसूचना में यथा उल्लिखित ऐसी पात्रता रखने के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित कौशलों में से अपनी अभिरुचि के व्यवसाय में कौशल प्राप्त करने हेतु किसी भी युवा को अवसर प्रदान करने से वंचित नहीं किया जायेगा.

(2) इस धारा में अंतर्विष्ट या इस अधिनियम के किसी प्रावधान के अधीन किसी बात के होते हुए भी, अभिरुचि के किसी व्यवसाय में कुशलता प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया माना जायेगा, यदि युवा तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा सफल घोषित नहीं किया गया है या संबंधित प्रशिक्षण को संतुष्टिपूर्वक पूर्ण करने में विफल रहता है:

परंतु युवा एक से अधिक कौशल विकास के लिए आवेदन कर सकेगा, यदि जिला प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण, यथास्थिति, ने आवेदन की प्रस्तुति के समय ऐसे कौशल (लों) में कौशल विकास के लिए सभी पात्र आवेदन निःशेष कर लिए हों.

**कौशल विकास के अधिकार का प्रयोग करना.**

4. (1) कौशल विकास के अधिकार के प्रयोग में, कोई भी युवा, जिला प्राधिकरण को अथवा इस प्रयोजन हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा पदाभिहित किसी अधिकारी को इस अधिनियम की अनुसूची में यथा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है और जिला प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा पदाभिहित अधिकारी व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान करेंगे और आवेदन की प्राप्ति की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की कालावधि के अंदर इस संबंध में आवेदक को सूचित करेंगे:

परंतु जहां इस उप-धारा के अधीन चिन्हांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, खण्ड की सीमाओं के बाहर किंतु जिले के अंदर स्थित है तथा जिला प्राधिकरण की राय में, यदि व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता तथा आवेदक के सामान्य निवास के बीच की दूरी आवेदक के अपने निवास से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता तक आने-जाने के लिए उसकी क्षमता से बाहर है तो जिला प्राधिकरण, ऐसे निबंधनों पर जैसा कि जिला प्राधिकरण अवधारित करे, प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान आवास की सुविधा प्रदाय करने के लिए ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी आवश्यकता हो:

परंतु यह और कि जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता जिले की सीमाओं के बाहर स्थित है, वहां जिला प्राधिकरण आवेदन को राज्य प्राधिकरण को भेजेगा, जो तत्पश्चात् जिस जिले में प्रशिक्षण के लिए चिन्हांकित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता स्थित हो, वहां के जिला प्राधिकरण से परामर्श करके, यथा आवश्यक व्यवस्था करेगा.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) के अधीन जिला प्राधिकरण को किया गया आवेदन, आवेदक द्वारा उपांतरित किया जा सकेगा जहां जिला प्राधिकरण द्वारा पाया जाता है कि आवेदक उस कौशल से भिन्न कौशल के विकास के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उसने आवेदन किया है, या जहां आवेदकों की न्यूनतम संख्या, इस प्रयोजन के लिए विनियम के अधीन यथा अधिसूचित ऐसे कौशल में प्रशिक्षण आरंभ करने हेतु उपलब्ध न हो.

जांच एवं प्रमाणन. 5. कौशल विकास के लिए नामांकित प्रत्येक युवा को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता केन्द्र में संबंधित प्रशिक्षण की संतोषजनक पूर्णता के पश्चात् तथा तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा परीक्षा लिए जाने एवं सफल घोषित करने के पश्चात् ही इस प्रकार का कौशल धारण करने के लिए राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जायेगा.

## अध्याय-दो
## राज्य प्राधिकरण एवं जिला प्राधिकरण का संगठन एवं संरचना

राज्य प्राधिकरण. 6. इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए राज्य में एक राज्य कौशल विकास प्राधिकरण होगा, जो राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा, जो एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी तथा जिस पर उक्त नाम से वाद लाया जा सकेगा अथवा वाद किया जा सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन विघटित माना जायेगा तथा छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन की समस्त आस्तियां एवं दायित्व राज्य प्राधिकरण की आस्तियां एवं दायित्व माने जायेंगे:

परन्तु यह और कि छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास मिशन की भागिता पर या उस पर प्रोद्भूत कोई संविदात्मक बाध्यताएं (दायित्व), उनको सम्मिलित करते हुए जो कर्मचारियों से संबंधित हों, यथास्थिति, राज्य प्राधिकरण की या उस पर प्रोद्भूत बाध्यताएं (दायित्व) समझी जायेंगी.

शासी परिषद्. 7. राज्य प्राधिकरण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने हेतु उसके द्वारा पालन की जाने वाली नीतियों पर दिशानिर्देश जारी करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक शासी परिषद् (गवर्निंग काऊंसिल) होगी :—

(क) (1) राज्य के मुख्यमंत्री (पदेन) अध्यक्ष होंगे;

(2) प्रभारी मंत्री—
(एक) तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन;
(दो) श्रम; और
(तीन) खेल एवं युवा कल्याण (पदेन) सदस्य होंगे;

(3) राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष (पदेन) सदस्य होंगे;

(4) राज्य शासन के मुख्य सचिव (पदेन) सदस्य होंगे;

(5) राज्य शासन के सचिव (चाहे किसी भी पदनाम से जाने जाएं), कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (एलायड सेक्टर) विमानन, ऊर्जा, वित्त, वन, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा, उच्च

शिक्षा, आवास एवं पर्यावरण, उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी तथा बायो टेक्नालॉजी, आंतरिक सुरक्षा, प्रसार एवं जनसंपर्क, खनिज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, ग्रामोद्योग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, स्कूल शिक्षा, समाज कल्याण, तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन, पर्यटन, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास एवं युवा कल्याण विभागों के प्रभारी (पदेन) सदस्य होंगे;

(6) जिला प्राधिकरण के तीन अध्यक्ष चक्रानुक्रम से (पदेन) सदस्य होंगे; तथा

(7) राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य-सचिव होंगे.

(ख) खण्ड (क) में वर्णित पदेन सदस्यों के अलावा राज्य शासन द्वारा नामांकित निम्नलिखित सदस्य भी होंगे :—

(1) उद्योग, व्यवसाय एवं वाणिज्य क्षेत्र से तीन विख्यात व्यक्ति जिसमें से एक महिला होगी;

(2) कौशल विकास तथा आजीविका कार्यक्रम क्षेत्र से तीन विख्यात व्यक्ति जिसमें से एक महिला होगी;

(3) राज्य के तीन व्यक्ति जिसमें से एक महिला होगी, जिसका कौशल विकास में तात्विक योगदान रहा हो;

(4) तकनीकी, कृषि, चिकित्सा, व्यावसायिक तथा प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा संस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति जिसमें से कम से कम एक महिला होगी;

(5) निःशक्त युवाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला विभिन्न रूप से शक्त, एक व्यक्ति, जो कौशल विकास में संलग्न हो;

(6) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति; तथा

(7) राज्य के मान्यता प्राप्त युवा संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति.

(ग) राज्य विधान सभा के पांच सदस्य जिसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक में से एक व्यक्ति, जो राज्य विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा, (पदेन) सदस्य होंगे.

(घ) शासी परिषद्, केन्द्र शासन या राज्य शासन के विशेषज्ञ या अन्य अधिकारियों को इतनी संख्या में आमंत्रित कर सकेगी, जैसा कि वह ठीक समझे, जो उसकी राय में विचार-विमर्श करने में अपना योगदान दे सकते हों.

8. शासी परिषद् द्वारा बनाई गई नीतियों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी को मार्गदर्शन देने और निर्देशित करने तथा अपने निर्देशों के निष्पादन हेतु निम्नलिखित संरचना के साथ शासी परिषद् की एक कार्यकारिणी समिति होगी, अर्थात् :— कार्यकारिणी समिति.

(क) राज्य शासन के मुख्य सचिव (पदेन) अध्यक्ष होंगे;

(ख) राज्य शासन के सचिव (चाहे किसी भी पदनाम से जाने जाएं), कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र (एलायड सेक्टर), वित्त, उद्योग, श्रम, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, तनकीकी शिक्षा एवं जन शक्ति नियोजन, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास एवं युवा कल्याण के प्रभारी (पदेन) सदस्य होंगे;

(ग) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक (पदेन) सदस्य होंगे;

(घ) धारा 7 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (1) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य में से एक सदस्य;

(ङ) धारा 7 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (4) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य में से दो सदस्य, जिसमें से एक महिला होगी;

(च) धारा 7 के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (6) के अधीन राज्य शासन द्वारा नामांकित सदस्य में से एक सदस्य;

(छ) राज्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी सदस्य-सचिव होगा.

**जिला प्राधिकरण.**

9. प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ एक जिला कौशल विकास प्राधिकरण होगा, अर्थात् :—

(1) जिला कलेक्टर (पदेन) अध्यक्ष होंगे;

(2) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सदस्य होगा;

(3) राज्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य, सदस्य-सचिव होगा;

(4) उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;

(5) तकनीकी, कृषि, चिकित्सा, व्यावसायिक तथा प्रबंधन शिक्षा में लगे हुए शिक्षण संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से एक विभिन्न रूप से शक्त व्यक्ति होगा;

(6) जिले में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति;

(7) जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित कौशल विकास क्षेत्र की महिलाओं में से एक महिला;

(8) जिले में पंचायत राज संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे, जिसमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा;

(9) जिले में नगरीय स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, जो जिला योजना समिति के अध्यक्ष द्वारा नामांकित किये जायेंगे जिसमें से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति तथा एक अन्य पिछड़ा वर्ग से होगा;

(10) जिला अग्रणी (लीड) बैंक मैनेजर सदस्य होगा; तथा

(11) जिला प्राधिकरण, राज्य शासन के विशेषज्ञ या अन्य अधिकारियों को, जिनकी संख्या तीन से अधिक न हो, आमंत्रित कर सकेगा, जो उसकी राय में विचार-विमर्श करने में अपना योगदान दे सकते हों.

**शासी परिषद, कार्यकारिणी समिति एवं जिला प्राधिकरण के सदस्यों का कार्यकाल.**

10. शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जब तक कोई सदस्य राज्य शसन द्वारा लिखित में कारणों का उल्लेख करते हुए हटाया नहीं जाये:

परन्तु पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्य, राज्य शासन अथवा जिला योजना समिति के अध्यक्ष, यथास्थिति, द्वारा तीन वर्ष के आगामी कार्यकाल के लिए पुन: नामांकित किये जा सकेंगे.

## अध्याय-तीन

## अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों के कृत्य एवं उत्तरदायित्व

**राज्य प्राधिकरण के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.**

11. (1) राज्य प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) वह, कौशल विकास नीति और कार्यक्रम पर, जब शासन द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जाये, अपनी सलाह देगा;

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक माह पूर्व, राज्य प्राधिकरण, आगामी वित्तीय वर्ष के लिये वार्षिक कौशल विकास योजना को राज्य शासन को उसके अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार, राज्य प्राधिकरण राज्य में वृहद आर्थिक विकास की दिशा, नई प्रौद्योगिकी तथा कुशल मानव संसाधनों की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास के लिये एक संदर्श योजना तैयार करेगा तथा राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा;

(घ) राज्य प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि कौशल विकास रूपरेखा जिसमें पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, विस्तृत पाठ्यचर्या, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिये अंगीकृत कार्यप्रणाली (पद्धति) समाविष्ट है, विनियम द्वारा अधिसूचित करे तथा उसे समय-समय पर उपांतरित करे;

(ङ) राज्य प्राधिकरण को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण अथवा पूर्व ज्ञान और तृतीय पक्ष मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर युवाओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर कौशलों के अर्जन की सुनिश्चितता के आधार पर, प्रमाण पत्र प्रदान करने की शक्तियां प्राप्त होंगी;

(च) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि किसी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया, विनियम द्वारा अधिसूचित करे;

(छ) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि तृतीय पक्ष मूल्यांकक के चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया, विनियम द्वारा अधिसूचित करे;

(ज) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि कौशल विकास से संबंधित एक या अधिक प्रमाण पत्र या अन्य अवार्ड, जो इस प्रकार के अवार्ड के समकक्ष समझा जाए जैसे डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र या पात्र अर्हताएं, जो लोक नियोजन के प्रयोजनों के लिए अथवा उच्च शिक्षा तक अभिगम हेतु मान्यता प्राप्त हो, राज्य शासन को समय-समय पर अनुशंसित करे;

(झ) राज्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला प्राधिकरण को ऐसे निर्देशों और दिशा-निर्देशों को समय-समय पर जारी करे, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(ञ) अपने व्ययन के लिए निधि की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण ऐसे गतिविधियों या ऐसे कार्यों को अपना सकते हैं, जो वार्षिक कौशल विकास योजना में सम्मिलित नहीं हैं, जो उनकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो:

परंतु जहां निधि की आवश्यकता राज्य के राजकोष पर दायित्व हो या होने की संभावना हो, वहां वार्षिक कौशल विकास योजना में निहित कार्यों के अलावा किसी अन्य कार्य को, राज्य शासन के पूर्वानुमोदन के बिना, नहीं अपनाया जायेगा;

(ट) वित्तीय प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण को अपने कार्यों को निष्पादित करने हेतु आवश्यकतानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी की सहायता हेतु व्यक्तियों की ऐसी संख्या को संविदा पर या अन्यथा, नियोजित करने की शक्तियां होगी और प्रत्येक ऐसा नियोजन, समय-समय पर यथा संशोधित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994), के प्रावधानों के अध्यधीन होंगे;

(ठ) राज्य प्राधिकरण को उससे संबंधित या उसमें निहित किसी भी चल सम्पत्ति का ऐसी रीति में व्ययन करने की शक्ति होगी जैसा कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ठीक समझे;

(ड) राज्य प्राधिकरण को राज्य शासन से अनुदान अथवा ऋण, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त होंगी;

(ढ) ऐसे प्रयोजनों, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, के लिए राज्य प्राधिकरण को वसीयतकर्ताओं, दानदाताओं अथवा हस्तान्तरणकर्ताओं, जैसी भी स्थिति हो, से उपहारों, दानों, वसीयतों अथवा चल या अचल संपत्तियों के हस्तांतरण को प्राप्त करने की शक्तियां प्राप्त होगी;

(ण) राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के उद्देश्यों के उन्नयन के लिए कौशल विकास से संबंद्ध राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ सहयोग करने की शक्तियां प्राप्त होंगी;

(त) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य प्राधिकरण को ऐसे सभी कार्य निष्पादित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस धारा के पूर्व प्रावधानों में नहीं किया गया है और जिनका क्रियान्वयन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो; तथा

(थ) राज्य प्राधिकरण, इस अधिनियम के प्रयोजनों से अनसंगत ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करेगा जिसे राज्य शासन द्वारा उन्हें सौंपा गया हो.

(2) इस धारा की उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य प्राधिकरण, किसी भी रूप में, किसी भी अचल संपत्ति का व्ययन, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा.

शासी परिषद् के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.

12. शासी परिषद् की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, और उसके कृत्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे, अर्थात् :—

(क) इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन बनाये गये विनियमों के क्रियान्वयन हेतु कार्यकारिणी समिति अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करना;

(ख) कौशल विकास से संबंधित नीतियों पर राज्य शासन को परामर्श देना;

(ग) राज्य में कौशल विकास हेतु पंचवर्षीय संदर्श योजना अनुमोदित करना;

(घ) कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कौशल विकास योजना को, ऐसे उपांतरणों सहित जैसा कि वह ठीक समझे, अनुमोदित करना;

(ङ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन निर्मित विनियमों, या उनके उपांतरणों की अधिसूचना को अनुमोदित करना;

(च) राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय लेखाओं को अनुमोदित करना;

(छ) कार्यकारिणी समिति को अपनी किसी भी शक्तियों को ऐसी सीमा तक प्रत्यायोजित करना और इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उसकी ओर से ऐसे निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत करना जैसा कि आवश्यक हो; तथा

(ज) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो, जिसके लिए राज्य शासन के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता न हो.

**कार्यकारिणी समिति के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.**

13. कार्यकारिणी समिति वर्ष में प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी तथा उसके निम्नलिखित कृत्य एवं उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन तथा मॉनिटरिंग करना;

(ख) शासी परिषद् के विचार हेतु राज्य में कौशल विकास के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजना का अनुमोदन करना;

(ग) मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कौशल विकास योजना का, शासी परिषद् के विचार हेतु, आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ के कम से कम दो माह पूर्व अनुमोदन करना तथा उसकी अनुशंसा करना;

(घ) इस अधिनियम की धारा 11 के अधीन विनियमों को शासी परिषद् के अनुमोदन से समय-समय पर निर्मित, अनुकूलित, संशोधित, परिवर्तित अथवा विखण्डित करना;

(ङ) जिला प्राधिकरण के कार्यों का पुनर्विलोकन करना तथा समय-समय पर मार्गदर्शन अथवा निर्देश जारी करना;

(च) राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण के अधीन संविदा पर अथवा अन्यथा, पदों के सृजन के प्रस्ताव का अनुमोदन करना;

(छ) कौशल विकास के लिए किसी शासकीय अथवा अनुमोदित अशासकीय, राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से कोई ऋण, अनुदान, वसीयत, नगद या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त कोई अन्य वित्तीय सहायता की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव का अनुमोदन करना;

(ज) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ऐसे मार्गदर्शन अथवा ऐसे निर्देश प्रदान करना, जैसा कि अधिनियम तथा उसके अधीन निर्मित विनियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हो;

(झ) कौशल विकास से संबंधित एक या अधिक प्रमाणपत्र या अन्य अवार्ड, जो इस प्रकार के अवार्ड के समकक्ष समझा जाए जैसे डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र या पात्र अर्हताएं, जो लोक नियोजन के प्रयोजनों के लिए अथवा उच्च शिक्षा तक अभिगम हेतु मान्यता प्राप्त हो, के प्रस्तावों का, शासी परिषद् के विचार हेतु, अनुमोदन करना;

(ञ) राज्य प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए उपकर निर्धारित करना तथा ऐसे शुल्क तथा अन्य प्रभारों को प्राप्त करना;

(ट) छात्रवृत्ति, पुरस्कार तथा पदक संस्थापित करना तथा प्रदान करना;

(ठ) राज्य प्राधिकरण के किसी कारबार के निराकरण के लिए अथवा राज्य प्राधिकरण से संबंधित किसी, विषय पर परामर्श देने के लिए समिति या समितियां नियुक्त करना;

(ड) राज्य प्राधिकरण के वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं तथा वित्तीय प्राक्कलन पर विचार करना तथा ऐसा संकल्प पारित करना, जैसा कि वह आवश्यक समझे;

(ढ) राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण या उपरोक्त धारा के खंड (ड) के अधीन गठित किसी समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपनी किसी शक्तियों को ऐसी सीमा तक प्रत्यायोजित करना जैसी कि वह आवश्यक समझे;

(ण) अनुमोदित वित्तीय प्राक्कलन के भीतर मूलधन का निवेश करने संबंधी प्रस्तावों का अनुमोदन करना;

(त) राज्य प्राधिकरण के संबंध में बैंकर्स तथा संपरीक्षकों की नियुक्ति के प्रस्तावों का अनुमोदन करना; तथा

(थ) ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जाएं, या ऐसी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करना जो शासी परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जाएं.

**राज्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.**

14. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यपालन प्राधिकारी होगा तथा उसके निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य के लिए पंचवर्षीय संदर्श योजना तथा वार्षिक कौशल विकास योजना तैयार करना तथा कार्यकारिणी समिति के विचार हेतु प्रस्तुत करना;

(ख) अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले विनियमों को प्रस्तावित करना;

(ग) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता, तृतीय पक्ष मूल्यांकक या जिला प्राधिकरण के कार्यों के निष्पादन की मानिटरिंग करना तथा ऐसे उपचारात्मक उपाय करना जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विनियमों के अधीन अपेक्षित हों;

(घ) अनुमोदित पदों पर, संविदा पर या अन्यथा, कार्मिकों की नियुक्ति करना;

(ङ) कौशल विकास में लगे हुए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं संपत्ति के पट्टे, किराए, प्राप्ति के संबंध में तथा सहयोग के लिए राज्य प्राधिकरण के लिए तथा उसकी ओर से अनुबंध करना;

(च) चल संपत्ति का समय-समय पर व्ययन करना;

(छ) राज्य प्राधिकरण तथा जिला प्राधिकरण के प्रशासन का प्रबंध करना तथा उसमें संविदा पर या अन्यथा, नियोजित सभी व्यक्तियों के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना;

(ज) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य प्राधिकरण की ओर से ऋण, अनुदान, उपहार, दान, वसीयत, उपकृति अथवा चल या अचल संपत्ति का हस्तांतरण प्राप्त करना तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए अनुबंध करना;

(झ) राज्य प्राधिकरण की निधि की अभिरक्षा करना;

(ञ) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व, वित्तीय प्राक्कलन तैयार करना तथा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजन की सीमा के भीतर उपलब्ध निधि पर व्यय की स्वीकृति देना;

(ट) लेखा पुस्तिका और अन्य सुसंगत अभिलेख तैयार करना तथा उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(ठ) कार्यकारिणी समिति के विचारण के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं का वित्तीय विवरण तैयार करना सुनिश्चित करना;

(ड) किसी न्यायालय अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष, इस अधिनियम के अधीन सभी प्रयोजनों के साथ-साथ किसी कार्यवाही के संबंध में उसके अधिकृत (मान्यता प्राप्त) एजेन्ट के रूप में राज्य प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करना;

(ढ) शासी परिषद् या कार्यकारिणी समिति, यथास्थिति, की बैठकें आहूत करना; तथा

(ण) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि शासी परिषद् या कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए, जो राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण के दैनंदिन प्रशासन के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो.

**जिला प्राधिकरण के कृत्य एवं उत्तरदायित्व.**

15. जिला प्राधिकरण की माह में कम से कम एक बार बैठक होगी और इसके निम्नलिखित कृत्य एवं उत्तरदायित्व होंगे, अर्थात् :—

(क) जिले के लिए वार्षिक कौशल विकास कार्यक्रम तैयार करना और उसे राज्य प्राधिकरण के वार्षिक कौशल विकास योजना तैयार करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को उपलब्ध कराना;

(ख) राज्य प्राधिकरण के परामर्श से जिले में उपलब्ध कौशल विकास प्रशिक्षण अवसरों की एक सूची तथा प्रशिक्षण आरंभ होने से पूर्व वांछित प्रशिक्षणार्थियों की न्यूनतम संख्या का प्रकाशन करना;

(ग) जिले में स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण करना तथा ऐसे उपचारात्मक उपाय करना जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो;

(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन ऋण, अनुदानों, उपहारों, दानों, वसीयतों, उपकृति अथवा चल या अचल संपत्ति के अंतरणों को प्राप्त करना;

(ङ) खाता पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को तैयार करना तथा उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करना;

(च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के वित्तीय विवरण को तैयार करना सुनिश्चित करना और उसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रस्तुत करना;

(छ) कौशल विकास गतिविधियों के लिए जिले के भीतर उपलब्ध सभी संसाधनों की ऐसी पहचान करना और संग्रहित करना, जैसा कि अपेक्षित हो; तथा

(ज) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं, तृतीय पक्ष मूल्यांककों तथा जिले के भीतर कौशलों के विकास के लिए नामांकित युवाओं के कौशल विकास गतिविधियों की प्रास्थिति पर, ऐसी सावधिक अवधि में प्रतिवेदन निर्मित करना जैसा कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए.

**शासी परिषद, कार्यकारिणी समिति तथा जिला प्राधिकरण की बैठक हेतु गणपूर्ति.**

16. शासी परिषद्, कार्यकारिणी समिति और जिला प्राधिकरण की बैठकों के लिए गणपूर्ति, कुल सदस्यता की एक तिहाई होगी, जिसमें विशेष रूप से आमंत्रित सदस्य शामिल नहीं होंगे.

## अध्याय–चार
## शिकायत निवारण (प्रतितोषण) तंत्र

**शिकायतों का निवारण (प्रतितोषण) तथा पुनर्विलोकन.**

17. (1) कौशल विकास हेतु आवेदक या कौशल विकास हेतु नामांकित कोई युवा जिला प्राधिकरण अथवा धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण द्वारा पदाभिहित अधिकारी या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता के किसी निर्णय, आदेश या कार्यवाही से व्यथित है, तो वह ऐसे निर्णय या आदेश या कार्यवाही, यथास्थिति, के 30 दिनों की कालावधि के अंदर विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा प्राधिकारी उसकी सुनवाई करने हेतु अग्रसर होगा तथा 60 दिनों की आगामी कालावधि के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय देगा तथा जहां आवेदक अथवा कौशल विकास के लिए नामांकित कोई युवा, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यावेदन पर लिए गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय के 45 दिनों की कालावधि में पुनर्विलोकन हेतु द्वितीय अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी, जिसका उल्लेख विनियमों में भी किया जायेगा, शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा 90 दिनों की कालावधि में मामले में अपना यथोचित निर्णय देगा तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक मुख्य कार्यपालन अधिकारी या जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, के किसी निर्णय या आदेश या कार्यवाही से व्यथित है, तो वह ऐसे निर्णय या आदेश या कार्यवाही, जैसी भी स्थिति हो, के 30 दिनों की कालावधि के अंदर विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राधिकारी उसी सुनवाई करने हेतु अग्रसर होगा तथा 60 दिनों की आगामी कालावधि के अंदर अभ्यावेदन पर निर्णय देगा तथा जहां व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता या तृतीय पक्ष मूल्यांकक, जैसी भी स्थिति हो, अभ्यावेदन पर लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्णय के 45 दिनों की कालावधि में पुनर्विलोकन हेतु द्वितीय अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी, जिसका उल्लेख विनियमों में भी किया जायेगा, शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा 90 दिनों की कालावधि में मामले में अपना यथोचित निर्णय देगा तथा पुनर्विलोकन प्राधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा.

## अध्याय–पांच
## वित्त

**राज्य कौशल विकास निधि.**

18. इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, इस संबंध में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में राज्य प्राधिकरण द्वारा एक राज्य कौशल विकास निधि संधारित तथा संचालित की जायेगी तथा जिसमें निम्नलिखित से या द्वारा प्राप्त राशियों को जमा किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) केन्द्र शासन;

(ख) राज्य शासन;

(ग) राज्य शासन द्वारा यथा प्राधिकृत ऋण;
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त उपहार, दान, वसीयत, उपकृति या अंतरण; तथा
(ङ) राज्य प्राधिकरण द्वारा संगहित कोई शुल्क.

19. इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए, इस संबंध में विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में जिला प्राधिकरण द्वारा एक जिला कौशल विकास निधि संधारित तथा संचालित की जायेगी तथा जिसमें निम्नलिखित से या द्वारा प्राप्त राशियों को जमा किया जायेगा, अर्थात् :— जिला कौशल विकास निधि.
(क) केन्द्र शासन;
(ख) राज्य शासन;
(ग) राज्य शासन द्वारा यथा प्राधिकृत, ऋण;
(घ) इस अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त उपहार, दान, वसीयत, उपकृति या अंतरण; तथा
(ङ) राज्य प्राधिकरण से अन्तरण.

20. राज्य प्राधिकरण तथा प्रत्येक जिले में जिला प्राधिकरण :— **राज्य तथा जिला कौशल विकास निधि की लेखा परीक्षा.**
(क) बैलेंस शीट और अन्य संबंधित अभिलेखों सहित लेखाओं का समुचित रूप से संधारण करेगा तथा लेखाओं का वार्षिक वित्तीय-विवरण तैयार करेगा, जो राज्य के स्थानीय निधि लेखा-संपरीक्षक या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा परीक्षित किया जाएगा;

(ख) राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के लेखाओं की परीक्षा के संबंध में स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के ऐसे लेखाओं के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो स्थानीय निकायों के लेखाओं की परीक्षा, विशेषत: बहियों, लेखाओं, संबंधित वाऊचरों, अन्य दस्तावेजों तथा कागजातों को प्रस्तुत करने की मांग के अधिकार तथा प्रत्येक जिले में राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, यथास्थिति, के कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में स्थानीय निधि संपरीक्षक के रूप में प्राप्त होते हैं;

(ग) स्थानीय निधि लेखा संपरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित इन लेखाओं को, उसके लेखा प्रतिवेदन के साथ ही प्रतिवर्ष राज्य शासन को अग्रेषित किया जाएगा तथा राज्य शासन उसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगा; तथा

(घ) राज्य प्राधिकरण तथा प्रत्येक जिले में जिला प्राधिकरण इस धारा के खण्ड (ख) तथा (ग) का अल्पीकरण किये बिना अपने लेखाओं की परीक्षा के लिए वैधानिक संपरीक्षक नियुक्त कर सकते हैं.

## अध्याय-छ:
## विविध

21. राज्य प्राधिकरण राज्य में कुशल व्यक्तियों की एक निर्देशिका का अनुरक्षण करेगा और सामयिक रूप से अपनी वेबसाइट पर इसका प्रकाशन करेगा. कुशल व्यक्तियों की निर्देशिका.

22. जहां राज्य शासन की राय में, राज्य में कुछ कौशलों का अभाव या कमी हो और जनहित में ऐसे कौशलों को युवाओं को प्रदाय किया जाना अपेक्षित समझा जाता है और यदि राज्य में इन कौशलों के प्रदाय हेतु कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता उपलब्ध न हो, तो वह राज्य प्राधिकरण की अनुशंसा पर, राज्य के बाहर स्थित समुचित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की पहचान करेगा तथा इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण इस प्रकार के कौशलों और साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को अधिसूचित करेगा और पात्र युवाओं के कौशल विकास हेतु समुचित व्यवस्थाएं करने हेतु अग्रसर होगा. राज्य के बाहर स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता की अधिसूचना.

23. राज्य प्राधिकरण कौशलों के लिए प्रशिक्षण में अनुसंधान एवं विकास हेतु विश्वविद्यालयों को सम्मिलित करते हुए अभिकरण या संस्थाओं के साथ सहयोग करेगा. कौशलों में अनुसंधान एवं विकास.

**उद्योगों के साथ सहयोग.**

24. राज्य शासन तथा राज्य प्राधिकरण राज्य के युवाओं के बीच कौशलों के विकास में उद्योगों की स्वैच्छिक भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा.

**सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.**

25. इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों या जारी किये गये आदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, शासन या शासन के या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी या ऐसे प्राधिकरण या प्राधिकरणों के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं होगी.

**कतिपय नियमों तथा विधियों की प्रयोज्यता.**

26. (1) राज्य शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के प्रावधान राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन संविदात्मक नियोजन को, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे.

(2) राज्य शासन द्वारा, अधिसूचना द्वारा जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, समय समय पर यथा संशोधित, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम, 2002 अथवा इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रावधान, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

**नियमों तथा विनियमों को निर्मित करने की शक्ति.**

27. (1) राज्य शासन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के क्रियान्वयन हेतु नियम निर्मित करने की शक्तियां होंगी.

(2) राज्य प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, उसके प्रयोजनों के कियान्वयन हेतु, विनियमों को निर्मित करने की शक्तियां होंगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन निर्मित किया गया प्रत्येक नियम या विनियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब सत्र कुल 30 दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखा जायेगा, और यदि, उस सत्र जिसमें उक्त अवधि समाप्त हो या पूर्वोक्त उत्तरवर्ती सत्र के अवसान होने के पूर्व सदन यदि किसी प्रकार का उपांतरण करने की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि नियम या विनियम, जैसी भी स्थिति हो, को नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम या विनियम, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा, तथापि ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, नियम या विनियम, यथास्थिति, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.

## अनुसूची

[ धारा 4 (1) देखिए ]

### कौशल विकास हेतु आवेदन

(आवेदक ऐसे विवरण दें, जो उनकी जानकारी में हों)

कृपया अपने नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकायें

- जिला प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख : ............................................
- जिले का नाम : ............................................

**व्यक्तिगत विवरण :**

1. आवेदक का नाम : ............................................
2. पिता/पति का नाम : ............................................
3. माता का नाम : ............................................
4. लिंग (पुरुष/महिला) : ............................................
5. आयु (वर्ष तथा माह में) : ............................................
6. जन्मतिथि : तारीख ..............माह ................वर्ष ...........
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी है (हां/नहीं) : ............................................
8. श्रेणी (अजा/अजजा/अपिव/अनारक्षित) : ............................................
9. धर्म : ............................................
10. क्या विभिन्न व्यक्ति सक्षम है (यदि हां, तो वर्ग का उल्लेख करें) : ............................................
11. वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) : ............................................
12. क्या आवेदक गरीबी रेखा प्रवर्ग से संबंधित है ? (हां/नहीं) : ............................................
13. रोजगार कार्यालय का पंजीयन क्रमांक (यदि हो) : ............................................
14. आधार कार्ड क्रमांक (यदि कोई हो) : ............................................
15. क्या आवेदक किसी विभाग/मंडल इत्यादि की किसी योजना का हितग्राही है ? (यदि हां तो कृपया विभाग/मंडल इत्यादि के नाम का उल्लेख करें) : ............................................
16. भाषाएं जो जानते हैं : ............................................
17. स्थायी पता : ............................................
    ग्राम/शहर ............................................
    वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत ............................................
    विकासखण्ड ................ जिला ..................
    राज्य .................... पिनकोड ..................
18. पत्र व्यवहार का पता : ............................................
    ............................................
    ग्राम/शहर ............................................
    वार्ड क्रमांक/ग्राम पंचायत ............................................
    विकासखण्ड ............... जिला .....................
    राज्य ...................... पिनकोड ......................
19. सम्पर्क हेतु दूरभाष नम्बर (यदि कोई हो) : ............................................
20. सम्पर्क हेतु मोबाइल नम्बर (यदि कोई हो) : ............................................
21. ई-मेल (यदि कोई हो) : ............................................
22. आवेदक का व्यवसाय : ............................................

23. परिवार का व्यवसाय : ..........................................................

24. परिवार की वार्षिक आय : ..........................................................

25. **शैक्षणिक अर्हता :**

| परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण करने का वर्ष | मण्डल/विश्वविद्यालय का नाम | अंकों का प्रतिशत या श्रेणी |
|---|---|---|---|
| 5वीं | | | |
| 8वीं | | | |
| 10वीं/मैट्रिक | | | |
| 12वीं/उच्चतर माध्यमिक | | | |
| स्नातक | | | |
| स्नातकोत्तर | | | |
| अन्य | | | |

26. **तकनीकी/व्यावसायिक अर्हता:** व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण/भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/पत्रोपाधि/इंजीनियरिंग/प्रबंधन/चिकित्सा तथा परिचर्या/फार्मेसी/अन्य

| स. क्र. | अर्हता | ट्रेड/ब्रांच/स्ट्रीम | मण्डल/विश्वविद्यालय का नाम | कालावधि (वर्षों में) | उत्तीर्ण करने का वर्ष | अंकों का प्रतिशत या श्रेणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

27. **पूर्व अर्जित कौशल का विवरण :**

| स. क्र. | कौशल का विवरण | सेक्टर | समकक्ष एमईएस पाठ्यक्रम का नाम | क्या प्रमाण पत्र है (हां/नहीं) | औपचारिक/अनौपचारिक/परंपरागत/विरासत में प्राप्त कौशल | औपचारिक कौशल प्रशिक्षण की कालावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

28. **कार्य अनुभव :**

| व्यवसाय की प्रकृति | व्यवसाय की शाखा | पदनाम (यदि कोई हो) | अनुभव की कालावधि (वर्षों में) | मासिक आय (रुपयों में) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

29. **आवेदक द्वारा अपेक्षित कौशल प्रशिक्षण का विवरण :**

क. शाखा का नाम, जिसमें कौशल प्रशिक्षण अपेक्षित है : ..........................................................

ख. एमईएस पाठ्यक्रम का नाम (यदि ज्ञात हो) : ..........................................................

ग. एमईएस पाठ्यक्रम का कोड (यदि ज्ञात हो) : ..........................................................

घ. क्या जिले के बाहर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की इच्छा है (हां/नहीं) : ..........................................................

30. यदि आवेदक ने पूर्व से ही कोई कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उसका विवरण :—

| स. क्र. | शाखा | पाठ्यक्रम/ एमईएस पाठ्यक्रम का नाम | जिले का नाम | व्हीटीपी का नाम | प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तारीख | प्रशिक्षण समाप्त होने की तारीख | परिणाम (उत्तीर्ण/ अनुत्तीर्ण) | प्राप्त प्रमाण पत्र (हां/नहीं) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

* व्हीटीपी से अभिप्रेत है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता.
* एमईएस से अभिप्रेत है माड्यूलर रोजगार योग्य कौशल.

तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

## उद्देश्य और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 38 तथा 41 यह उपबंधित करते हैं कि राज्य को विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत लोगों या विभिन्न व्यवसायों में संबद्ध लोगों के वृहद समूह की न्यूनतम आर्थिक विषमताओं, रहन-सहन की विषमताओं में कमी करने, सुविधाएं एवं अवसर उपलब्ध कराने तथा रोजगार और शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी उपबंध करने चाहिए.

विगत कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ राज्य ने यह सिद्ध किया है कि वह तीव्र गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है, जिसकी विगत 7 वर्षों से 10 प्रतिशत से अधिक सकल घरेलू उत्पाद की दर रही है. कुशल मानव संसाधन में बढ़ती हुई कमी विकास के इस कठिन दौर से तालमेल बिठाने में बाधक हो रही है. इस बाधा को दूर करने के लिए, 12वीं योजना (2012-2017) के दौरान कम से कम 17 लाख व्यक्तियों को कुशल बनाने की आवश्यकता है.

प्रत्येक वर्ष, राष्ट्रीय रोजगार के क्षेत्र में लगभग 1.2 करोड़ नये लोग प्रविष्ट होते हैं, जिनमें से केवल चालीस लाख रोजगार प्राप्त करने वाले ही कुशल होते हैं जो कम पारिश्रमिक, कम आय वर्ग, कम उत्पादकता तथा विकास में गतिहीनता की ओर अग्रसर करता है. देश का लक्ष्य है, कि वर्ष 2022 तक कम से कम 15 करोड़ व्यक्तियों को कुशल बनाया जाए.

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के क्रम में, राज्य सरकार उन व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपबंध करने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयास करेगी, जो प्रकृति में रोजगारोन्मुख हों. छत्तीसगढ़, भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है, जो अपने नागरिकों के लिए कौशल को विधिक अधिकार के रूप में घोषित करने में समर्थ है, तथा जिसने अपने 14 से 45 वर्ष की आयु की बीच के किन्हीं भी नागरिकों को उनकी रुचि के अनुसार कौशल में प्रशिक्षण की मांग करने के इस अधिकार को प्रवर्तनीय बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.

यह विधेयक राज्य के निवासियों के आर्थिक स्तर में सुधार करेगा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा विकसित कौशल का उपयोग करते हुए सार्थक रोजगार प्राप्त करने में उन्हें समर्थ बनाएगा.

यह विधेयक न केवल राज्य के नागरिकों को बेहतर रोजगार एवं आजीविका का अवसर ही प्रदान करेगा वरन "युवा-राज्य की जीवनरेखा" को असामाजिक तत्वों द्वारा पथभ्रष्ट होने से भी निवारित करेगा. यह विधेयक राज्य के निरंतर विकास के लिए ईंधन (साधन) उपलब्ध करायेगा तथा इस प्रक्रिया में समाज के निचले तबके के लाखों लोगों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा तथा उनके आर्थिक स्तर में सुधार करेगा. इस विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति आशयित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 16 मार्च, 2013

**रामविचार नेताम**
तकनीकी शिक्षा मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

---

## वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल-विकास का अधिकार विधेयक, 2013 का उद्देश्य प्रदेश में निवासरत 14 से 45 आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण के विविध अवसरों के माध्यम से कौशल-विकास का अधिकार प्रदान करना है. प्रस्तावित विधेयक के अंतर्गत युवाओं की मांग पर आधारित कार्यवाहियां की जानी है. यद्यपि मांग का आंकलन करना कठिन है, तथापि प्रति वर्ष 2.50 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का अनुमान है. प्रति हितग्राही के प्रशिक्षण पर रु. औसत 5000 व्यय होने के अनुमान हैं. इस प्रकार प्रति वर्ष कौशल प्रशिक्षण हेतु रु. 125 करोड़ का व्यय भार संभावित है. जिसमें वर्तमान शासकीय योजनाओं में कौशल प्रशिक्षण हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से कुल रु. 75 करोड़ की उपलब्धता है. कौशल प्रशिक्षण हेतु शेष अनुमानित राशि की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से की जाएगी. आवश्यकतानुसार कौशल प्रशिक्षण के लिए राशि की व्यवस्था की जाने का प्रावधान विधेयक में प्रस्तावित है.

राज्य में कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नवम्बर 2009 से छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन स्थापित है, जिसके अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय पद संरचनाएं स्वीकृत की गई हैं. कौशल विकास कार्यक्रमों को गति देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा मिशन को प्रति वर्ष रु. 4 करोड़ वार्षिक बजट से प्राप्त होते हैं. विधेयक के अंतर्गत प्रावधानित राज्य कौशल विकास प्राधिकरण स्थापित होने पर मिशन इसमें समाहित हो जाएगा और उसके द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियां प्राधिकरण द्वारा की जा सकेगी, अत: प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रमों के संचालन/प्रशासन में अतिरिक्त व्यय भार नहीं आएगा.

---

### "संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

---

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है उनका विवरण निम्नानुसार है :—

**खण्ड 1 (2)** अधिनियम छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

**(3)** अधिनियम अधिसूचित करने की तिथि सूचित करने.

**खण्ड 11 (घ)** कौशल विकास की रूपरेखा, जिसके पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम, विस्तृत पाठ्यचर्या, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के लिए अंगीकृत कार्यप्रणाली समाविष्ट है. विनिमय द्वारा अधिसूचित करने तथा समय-समय पर उपांतरित करने.

**(च)** व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता का चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, नवीनीकरण अथवा पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया विनिमय द्वारा अधिसूचित करने.

(छ) तृतीय पक्ष मूल्यांकन का चयन, पंजीयन, मूल्यांकन, नवीनीकरण अथवा पंजीयन के निरस्तीकरण की प्रक्रिया विनिमय द्वारा अधिसूचित करने.

**खण्ड 17 (1)** शिकायतों एवं अभ्यावेदनों के निराकरण हेतु विनिमय अधिसूचित करना.

(2)

**खण्ड 18** राज्य प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित किए जाने वाले कौशल विकास फंड के सृजन के लिए विनिमय अधिसूचित करने.

**खण्ड 19** जिला प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित एवं संचालित किए जाने वाले जिला कौशल विकास फंड के सृजन के लिए विनिमय अधिसूचित करने.

**खण्ड 27 (1)** अधिनियम के उद्देश्यों के निष्पादन हेतु नियम बनाने.

(2) अधिनियम के उद्देश्यों हेतु विनिमय बनाने.

**देवेन्द्र वर्मा**
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.